न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53 / 2024	16.04.2024	06.06.2024

अनवान

1. इन्द्राबाई पुत्री मुला जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गंगाबाई पत्नी मुला जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. ज्योति पत्नी मुकेश जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी हरिजन बस्ती दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. देवीलाल पुत्र मुला जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नारायणी बाई पत्नी श्यामलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. बंशीलाल पुत्र मुला जाति सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रामदेव पुत्र श्यामलाल संरक्षक माता नारायणीबाई श्यामलाल सालवी आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलसीदास पुत्र प्रभुदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी राजपुत बस्ती काबरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
2. इन्द्राबाई पत्नी भीलुलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी अम्बामाता 168 औडबस्ती उदयपुर।
3. कलावती पत्नी कालुलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी अम्बामाता 168 औडबस्ती उदयपुर।
4. लालाराम पुत्र भगतराम जाति मण्डोवरा आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मांगीदेवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.04 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 319 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 629, 630, 631, 632 कुल किता 04 कुल रकबा 2.25 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी

एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। पूर्व में दिनांक 14.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 4 व आज दिनांक 06.06.2024 को अप्रार्थी सं0 2, 3 के विरूद्ध बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 319 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 629, 630, 631, 632 कुल किता 04 कुल रकबा 2.25 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद अ[illegible]र्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official